

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 34/22

कुन्ना वगै. बनाम हस्मिया वगैरह

किस्ममुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2022	<p><u>22.4.25</u> पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित/ पत्रावली मुकदमा नं. 02 लगा 07 दिनांक 27.5.25 को पेश हो गई</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p><u>27.5.25</u> पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित/ अज्ञात नं. 04 अज्ञात वकील प्रार्थी से नै अज्ञात नं. 02 लगा 07 की तामील रिपोर्ट पत्रावली पेश हो/ पत्रावली वास्तु जवाब प्रार्थी नं. 04 अज्ञात नं. 04 एवं इंतजार तामील रिपोर्ट अज्ञात नं. 02, 03, 05 लगा 07 दिनांक 26.6.25 को पेश हो गई</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	सापुष
	<p><u>26/6/25</u> पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य में व्यस्त होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका/ पत्रावली मुकदमा नं. 29/7/25 को पेश हो गई</p>	
	<p><u>29.7.25</u> पत्रावली पेश हुई पसकराम कोषार नं. 2 अज्ञात दिनांक 29/7/25 को पेश हो गई उपयुक्त मुकदमा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 34/22

कुन्ना वगै. बनाम ^{नौतन} इस्मिया वगैरह

किस्ममुकदमा- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>रहे। इससे स्पष्ट है कि पत्रकारन पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए फासली वादी ^{जारी} की अदम दायरी व अदम फेरनी में खरिज की जाती है। पत्रावली केवल शुभार सेठर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	